

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-सा.-19022026-270305
SG-DL-W-19022026-270305

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 2]	दिल्ली, फरवरी 6—फरवरी 12, 2026, बृहस्पतिवार/ माघ 17—माघ 23, 1947	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 461
No. 2]	DELHI, FEBRUARY 6—FEBRUARY 12, 2026, THURSDAY/ MAGHA 17—MAGHA 23, 1947	[N.C.T.D. No. 461

भाग II खण्ड 1
PART II—Sec. 1

न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश, उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के निर्वाचन आयोग की विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन
Notifications and Orders on Judicial and Magisterial matters; reproduction of High Court Notifications and Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

भारत निर्वाचन आयोग
अधिसूचना

दिल्ली, 9 फरवरी, 2026

सं. 154/DL/2025-P.Admn.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के परामर्श से एतद्वारा, सुश्री आर एलिस वाज, आई.ए.एस, के स्थान पर श्री अशोक कुमार, आई.ए.एस. (ए. जी. एम. यू. टी: 2006), को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री अशोक कुमार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री अशोक कुमार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में कार्य करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्य भार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार के सचिव पदाभिहित किया जाएगा।

आदेश से,

राहुल शर्मा, प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

Delhi, the 9th February, 2026

No. 154/DL/2025-P.Admn.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Govt. of N.C.T. of Delhi hereby designates Shri Ashok Kumar, IAS (AGMUT: 2006) as the Chief Electoral Officer for the N.C.T. of Delhi with effect from the date he takes over charge and until further orders in place of Ms. R Alice Vaz, IAS.

2. Shri Ashok Kumar shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Govt. of N.C.T. of Delhi, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri Ashok Kumar while functioning as the Chief Electoral Officer, N.C.T. of Delhi shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of N.C.T. of Delhi except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

By Order,

RAHUL SHARMA, Principal Secy.